

पृष्ठ

श्री एम० दास

विशेष निदेशांक 10/न4-12/2002

सेवा में,

तत्त्व,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र, कम्युनिटी सेन्टर, पीत बिहार
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 1-11-04

विषय:-

राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निगति करने के
संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए
कहना है कि दिनांक 4.10.04 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निगति किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में संसाम्मति से लिए गए
निर्णय के आलोक में निम्नलिखित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निगति करने का निर्णय
लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के समकक्ष वेतनादि का भुगतान विद्यालय के शिक्षक/
शिक्षकेतर कर्मियों को करना होगा तथा उन विद्यालयों में सी०बी०एस०ई०, बर्द्धक
मापदंड के अनुरूप भवन में तदनु रूप विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित करनी होगी:-

- 11- सेंट रेन्ता हाई स्कूल, वेगम की हवेली, पटनासिटी
- 12- पूज्य तपस्वी श्री राजीवजी महाराज सारस्वती विद्या मंदिर, हसनपुर
राजगीर।
- 13- सान्दरी देवी सारस्वती विद्या मंदिर, वंशी झा लेन, बूढ़ानाथ,
भागलपुर
- 14- आर०पी० स्कूल, कवहरी रोड, बिहारशरीफ, नालंदा
- 15- आर०एस०एम० पब्लिक स्कूल, सुपौल
- 16- इम्पेरियल पब्लिक स्कूल, हथुआ, गोपालगंज
- 17- डॉ० दुखनराम डी०एस०ई० पब्लिक स्कूल, गौला रोड, टानापुर, पटना
- 18- पी०पी०एस० स्कूल, बैकटेवरनगर, अड़वल मोड़, जहानाबाद
- 19- नोट्रेड्स स्कूल, और
- 10- मदरा इंटरनेशनल स्कूल, एफ०सी०आई० रोड, फुलवारीशरीफ, पटना
- 11- रेडियन्ट इंटरनेशनल स्कूल, खगौल रोड, पटना
- 12- एडिड कान्वेंट स्कूल, त्रिशुप्तनगर, कंकडवाग, पटना
- 13- डी०एस०भी० पब्लिक स्कूल इंडस्ट्रीयल एरिया, बरारी, भागलपुर
- 14- रामकृष्ण विद्यामंदिर उच्च विद्यालय, गांधी निकुंज, रन्धूपक,
भागलपुर

1/11/04

82

पी०टी०ओ०

15. सीताराम डी०एस०पी० पब्लिक स्कूल, - विद्यालय का संशोधित पता, सीताराम
सीताराम
डी०एस०पी० पब्लिक स्कूल, पुपरी, सीताराम
16. एलिगेन्ट पब्लिक स्कूल, कटारी हिल रोड, गया।

2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विद्यारामाजन,

30/10/04

क्रमांक

580

पटना, दिनांक 1-11-04

विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/
संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनाएं एवं
आवश्यक कार्याध्य प्रेषित।

2- वैयक्तिक गुणावत्ता को सनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार
विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा।

3- निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्यालय को निम्न अनुपपत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/
वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

क। विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य
सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष पैनल एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया
जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक क्लिम्ब किया जा रहा हो,

ख। अनुपपत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली
पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर,

ग। विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिरा
मद के लिए राशि की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो,

घ। विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य
सरकार द्वारा बनायी गई नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो
जिसमें समाज के विभिन्न सोसायटी के बीच कटुता पैदा हो;

च। सी०बी०एस०आई०, मापटण्ड के अनुरूप भवन में सी०बी०एस०आई० मापटण्ड
के अनुरूप विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर।

क्रमांक 580

पटना, दिनांक 1-11-04

विशेष निदेशक मा०शिक्षा०

प्रतिलिपि सचिव/निदेशक माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा,
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाएं प्रेषित।

क्रमांक 580

पटना, दिनांक 1-11-04

विशेष निदेशक मा०शिक्षा०

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक, मानव
संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाएं प्रेषित।

विशेष निदेशक मा०शिक्षा०